UPLL010031662022

IN THE COURT OF DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, LALITPUR.

Sessions Case/421/2022

STATE OF U.P. Vs. Kirshu @ Kissu s/o Pooran

C H A R G E

मैं, चन्द्रोदय कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर आप अभियुक्तगण रत्तू पुत्र धूमन अहिरवार, जीवन पुत्र रमेश अहिरवार, चरनदास पुत्र कडोरे, महेश पुत्र मनसुख, राकेश पुत्र हरचन्दा, भानू पुत्र श्यामलाल, हल्के भईया पुत्र कल्ला, सुनील पुत्र दरूआ, देवेन्द्र पुत्र रोशनलाल, परसादी पुत्र परमानन्द, किशन उर्फ किस्सू पुत्र पूरन, निवासीगण ग्राम बरौदिया, थाना नाराहट, जिला ललितपुर को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँः–

1– यह कि घटना की दिनाँक 03.12.2020 को समय 17.30 बजे स्थान वह्द ग्राम बारौदिया पर पर आप अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर बल्वा किया गया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147 भा.द.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि घटना की दिनाँक, समय व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्तगण द्वारा घातक आयुधों से सुसज्जित होकर बल्वा किया गया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि घटना की दिनाँक, समय व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्तगण द्वारा सामान्य उद्देश्य से अग्रसारण में वादी मुकदमा एवं पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों व कर्मियों पर पत्थरों एवं लाठी डंडो से मारपीट कर हमला यह जानते हुए किया गया कि आपके उक्त कार्य से पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो सकती थी। इस प्रकार आप अभियुक्तगण द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 सपठित धारा 149 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रंसज्ञान में हैं।

4– यह कि घटना की दिनाँक, समय व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्तगण द्वारा इतने उतावलेपन व उपेक्षा से ऐसा कार्य किया गया है, जिससे मानव जीवन अथवा वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हुआ है। इस प्रकार आप अभियुक्तगण द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 336 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5– यह कि घटना की दिनाँक, समय व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्तगण द्वारा लोक सेवक को उसके कर्तव्यों के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग किया गया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 353 सपठित धारा 149 भा.द.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में हैं।

6– यह कि घटना की दिनाँक, समय व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्तगण द्वारा पुलिस व प्रशासन की गाड़ियों में तोड़–फोड़ कर नुकसान कारित किया गया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 427 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

7– यह कि घटना की दिनाँक, समय व स्थान उपरोक्त पर जब लोक सेवक द्वारा बल्वा इत्यादि को दबाते समय आप अभियुक्तगण द्वारा लोक सेवकों पर हमला किया गया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 152 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

Digitally signed by Chandroday Kumar
Date: 2023.03.03 18:18:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

8– यह कि घटना की दिनाँक, समय व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्तगण द्वारा लोक स्थान पर लड़कर दंगा किया गया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 160 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

9–यह कि घटना की दिनाँक, समय व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदम को उसके विधिक कार्यों से रोकने हेतु हिंसा का प्रयोग किया गया तथा विधि विरुद्ध जमाव किया गया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया जो धारा 7 आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में हैं।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्तगण ने लगाए गए आरोपों से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

दिनॉक–03.03.2023

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

एतद्द्वारा आपको निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त आरोपों के तहत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक–03.03.2023

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

IN THE COURT OF DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, LALITPUR.

Sessions Case/421/2022

STATE OF U.P. Vs. Kirshu @ Kissu s/o Pooran

03.03.2023

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। अभियुक्तगण समक्ष न्यायालय उपस्थित हैं।

पत्रावली आज आरोप पर सुनवाई हेतु नियत है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) के आरोप पर तर्क सुने तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है तथा उन्हे उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गयी। जिसके जवाब में विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर बल्वा किया गया, घातक हथियारों से बल्वा किया गया, दंगा किया गया, सरकारी गाड़ियों में तोड़–फोड़ की गयी, कार्य सरकार में बाधा डाला गयी तथा पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों व कर्मचारियों पर जान से मारने की नियत से हमला किया गया एवं मानव जीवन को संकट में डाला गया। इसलिए अभियुक्तगण पर आरोप विरचित किये जाने के पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 147, 148, 307/149, 336, 353, 152, 160, 427 भा.द.सं. एवं धारा 7 क्रि.ला. अमे.एक्ट के आरोप अधिरोपित किये जाने हेतु इस स्तर पर प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा धारा 147, 148, 307/149, 336, 353, 152, 160, 427 भा.द.सं. एवं धारा 7 क्रि.ला. अमे. एक्ट के आरोप पृथक पृष्ठ पर विरचित किये जाते हैं।

दिनॉक–03.03.2023

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
ललितपुर।